न्यायालयः—सुनील कुमार शौक,अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसिंहगढ, जिला—राजगढ (म0प्र0)

आपराधिक प्र0 क्रमांक—204 / 17
संस्थापन दिनांक—21.03.17

आरक्षी केन्द्र वन विभाग नरसिंहगढ़,
जिला—राजगढ़(ब्यावरा)म.प्र. ....**अभियोजन**

वि. रु. द्ध

1— बद्रीलाल वल्द मिश्रीलाल सपेरा आयु 45 वर्ष
निवासी ग्राम—मीरूखेड़ी, तहसील—ब्यावरा, जि.राजगढ़ (म.प्र.)
2— मानसिंह वल्द बंशीलाल सपेरा आयु 40 वर्ष
निवासी ग्राम मीरूखेड़ी, तहसील—ब्यावरा, जि.राजगढ़ (म.प्र.)
3— प्रहलाद वल्द सोकू कुचबंदिया, आयु 70 वर्ष
निवासी चांदबड़, तहसील सीहोर, जि.सीहोर (म.प्र.)
4— रघुवीर वल्द मछलाराम गौड़ आयु 62 वर्ष
निवासी घोसीपुरा, जि.गुना (म.प्र.)
5— मोहम्मद शमीम वल्द मोहम्मद शरीफ आयु 48 वर्ष
निवासी कुली बाजार, थाना अनवरगंज,
कानपुर (उ.प्र.) .... **आरोपीगण**

राज्य की ओर से ए0डी0पी0ओ0 :— श्री मनोज मिंज।

आरोपीगण बद्रीलाल, मानसिंह,प्रहलाद
एवं रघुवीर की ओर से उसके अभिभाषक :— श्री संजीव दुबे।

आरोपी शमीम की ओर से उसके अभिभाष्क : श्री सिद्दीक अंसारी।

:: नि र्ण य ::

[आज दिनांक— 10 अक्टूबर, 2017 को घोषित]

01/ आरोपीगण के विरुद्ध आरोप है कि उन्होंने दिनांक 17.01.2017 एवं उसके पूर्व समय करीब 01:30 बजे स्थान ग्राम भीरूखेड़ी अंतग्रत तहसील नरसिंहगढ़ एवं ग्राम चांदबड़ तहसील सीहोर जि.सीहोर(म.प्र.) एवं बीनागंज, आरोन, गुना, बदरवाल, चांदबड़, ओमरी (म.प्र.) के अलावा सालपुरा, बारां, छबड़ा, छीयाबरोड़ राजस्थान एवं दिल्ली आदि स्थानों पर से आपस में मिलकर अनुसूची ।। भाग—2 के वन्य प्राणी इंडियन जैकाल (सियाल) एवं कोबरा (भारतीय नाग) एवं

अनुसूची IV के कमांक 12 के अंतर्गत रेडसेन्डबोआ (दो मुंह का सांप) एवं अनुसूची ||| क्रमांक 12 हायना (जरख) एवं अनुसूची 1 के भाग के अंतर्गत इंडियन पैंगोलिन (शल्क) के स्केल्स आदि वन्य जीवों को मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में शिकार करना उनके अंगों का व्यापार करना एवं वन्य जीवों के अंगों को अवैध अंतर्राज्जीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हुये उक्त वन्य प्राणियों के अवैध रूप से शिकार एवं अंगों का व्यापार का गंभीर अपराध करते हुये वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39(1)(ख)(घ), 44, 48(क), 49(ख), 50, 51, 52 तथा 57 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया।

02/ अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.01.2017 को वन विभाग नरसिंहगढ़ के वन परिक्षेत्र सहायक लक्ष्मीनारायण रोसिया को मोबाइल के माध्यम से मुखबिर से यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मीरूखेड़ी में आरोपी बद्रीलाल तथा मानसिंह के घर पर शेर पकड़ने के फंदे और सियार का मांस इकट्ठा किये हुये हैं, इस सूचना के आधार पर वन विभाग नरसिंहगढ़ के वन परिक्षेत्र अधिकारी डी.के.उपाध्याय, वनपाल लक्ष्मीनारायण रोसिया, वन रक्षक राघवेन्द्र यादव, शिशुपालसिंह जाट, महेश भानेरिया, निर्भयसिंह राजपूत ग्राम मीरूखेड़ी में आरोपी बद्रीलाल तथा मानसिंह के घर पहुंचे तथा घर के पासपास के क्षेत्रों की तलाशी ली, मौके पर बद्रीलाल तथा मानसिंह के घर के पास जंगली सियार का कटा सिर, सियार का मांस लगभग ढाई किलो, दो मुंह का सांप एक नग, कोबरा सांप चार नग, शेर पकड़ने के लोहे के फंदे 11 नग, कुल्हाड़ी एक नग, जरख के बाल, फंदे बनाने का सामान मौके पर पाया गया जिसे मौके पर जप्त किया जाकर पंचनामा बनाया गया, मौके पर बद्रीलाल व मानसिंह से जप्त सामान के संबंध में पूछताछ की जिसमें उन्होंने सियार का शिकार करने तथा खांने के लिये मांस काटना स्वीकार किया, दिनांक 19.01.2017 को जीवित वन्य प्राणियों को विधिनुसार उनके प्राकृतिक आवास में मुक्त किया, आरोपी बद्रीलाल, प्रहलाद, मानसिंह को गिरफ्तार किया गया, जप्त सामान को मौके पर साक्षीगण के समक्ष सीलबंद किया गया, वन अपराध क्र. 25615/1 दर्ज किया गया, आरोपीगण के मेमोरेंडम कथन अंकित किये गये, आरोपी बद्रीलाल ने पूछताछ के दौरान सीहोर चांदबड़ निसासी प्रहलाद वल्द सोफू को नेवले व सुअर के बाल तथा अन्य जानवरों के अंग बेंचने के संबंध में बताया, जिसके आधार पर प्रहलाद से पूछताछ की तथा प्रहलाद ने बताया कि उक्त जानवरों के अंगों को वह गुना निवासी रघुवीर को बेंचता है, इसके पश्चात् इस मामले की अग्रिम विवेचना एस.टी.एफ. इंदौर को सौंप दी गयी, जिस पर से उप वन संरक्षक श्रीमती प्रतिभा अहिरवार क्षेत्रीय स्टाईक फोस, इन्दौर द्वारा मामले की विवेचना की गयी, आरोपीगण से पूछताछ की गयी, शिनाख्तगी कार्यवाही करवायी गयी, आरोपी शमीम को गिरफ्तार किया गया, जप्त शुदा मांस आदि की जांच फारेंसिंक लेब

हैदराबाद से करायी गयी, जिसमें जप्त मांस सियार को होना पाया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03 / आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39(1)(ख)(घ), 44, 48(क), 49(ख), 50, 51, 52 तथा 57 के तहत आरोप विरचित कर उन्हें पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उन्होंने उक्त अपराध करना अस्वीकार कर विचारण की मांग की।

04 / आरोपीगण को धारा—313 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षण कराये जाने पर उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया और बचाव में साक्ष्य देना व्यक्त किया है।

05 / **<u>प्रकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :—</u>**

1. **क्या आरोपीगण ने 17.01.2017 एवं उसके पूर्व समय करीब 01:30 बजे स्थान ग्राम भीरूखेड़ी अंतग्रत तहसील नरसिंहगढ़ एवं ग्राम चांदबड़ तहसील सीहोर जि.सीहोर (म.प्र.) एवं बीनागंज, आरोन, गुना, बदरवाल, चांदबड़, ओमरी (म.प्र.) के अलावा सालपुरा, बारां, छबड़ा, छीयाबरोड़ राजस्थान एवं दिल्ली आदि स्थानों पर से आरोपी में मिलकर अनुसूची ।। भाग—2 के वन्य प्राणी इंडियन जैकाल (सियाल) एवं कोबरा (भारतीय नाग) एवं अनुसूची IV के कमांक 12 के अंतर्गत रेडसेन्डबोआ (दो मुंह का सांप) एवं अनुसूची ।।। कमांक 12 हायना (जरख) एवं अनुसूची 1 के भाग के अंतर्गत इंडियन पैंगोलिन (शल्क) के स्केल्स आदि वन्य जीवों को मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में शिकार करना उनके अंगों का व्यापार करना एवं वन्य जीवों के अंगों को अवैध अंतर्राज्जीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हुये उक्त वन्य प्राणियों के अवैध रूप से शिकार एवं अंगों का व्यापार किया?**

<u>:: निष्कर्ष के आधार ::</u>

06 / अभियोजन ने अपने पक्ष समर्थन में अभियोजन साक्षी डी.के.उपाध्याय (परि0सा0—1), लक्ष्मीनारायण रोसिया(परि0सा0—2), यादवेन्द्र यादव(परि0सा0—3), शिशुपालसिंह जाट (परि0सा0—4), निर्भयसिंह (परि0सा0—5), महेश भानेरिया (परि0सा0—6), प्रदीप यादव (परि0सा0—7), रवि शर्मा (परि0सा0—8), अवधेशसिंह परमार (परि0सा0—9) एवं श्रीमती प्रतिभा अहिरवार (परि0सा0—10) के न्यायालयीन कथन कराये हैं तथा आरोपीगण ने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

07/ प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण स्थानीय वनपरिक्षेत्र ब्यावरा सब रेन्ज नरसिंहगढ़, वन मण्डल, राजगढ़, जिला राजगढ़ म.प्र. द्वारा वन अपराध क. 25615/01 दिनांक 17.01.17 को पंजीबद्ध किया गया है एवं उक्त प्रकरण दिनांक 27.01.17 को अग्रिम अनुसंधान हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) एवं मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक म.प्र. के आदेश कमांक/संरक्षक/2017/04 दिनांक 23.01.17 के एवं व.म.अ. राजगढ़ के आदेश कमांक /मा.चि./274 दिनांक 27.01.17 के द्वारा परिवादी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार(ए.सी.एफ.) प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स इन्दौर म.प्र. को सुपुर्द किया गया है और अनुसंधान पश्चात् उन्हीं के द्वारा अभियोग पत्र दिनांक 21.03.17 को प्रस्तुत किया गया है।

08/ यादवेन्द्र यादव (परि0सा0–3)– ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 17.01.17 को श्री रोसिया को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मीरूखेड़ी में कोई शिकार की घटना हुई है, फिर उन्होंने सूचना की जानकारी डी.के.उपाध्यायजी को दी, उपाध्याजी के साथ वह लोग उनकी गाड़ी में बैठकर ग्राम मीरूखेड़ी गये, उनके वाहन में एल.एन.रोशिया, महेश भानेरिया वन रक्षक एवं निर्भयसिंह थे। साक्षी ने आगे कहा कि ग्राम मीरूखेड़ी जाकर आरोपी बद्रीलाल तथा मानसिंह के घर घेराबंदी की एवं तलाशी ली गयी, बद्रीलाल के घर से सियार का कटा सिर, देड़ किलो सियार का मांस तथा 7 शेर पकड़ने के लोहे के फंदे, जरख के पूंछ के बाल, दो कोबरा सांप और एक सांप दो मुंह वाला हिन्दा, एक कुल्हाड़ी तथा फंदे बनाने का सामान, 6 कुन्दे, एक प्लास, एक आरी, दो छेनी और एक हथोड़ी थी। साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि आरोपी मानसिंह के घर से दो भारतीय कोबरा सांप जिन्दा, चार शेर पकड़ने के फंदे, एक किलो सियार का मांस मिला था जिसे उसने साक्षीगण के समक्ष आरोपी बद्रीलाल से जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 7 बनाया व आरोपी मानसिंह से जप्त सामान का जप्ती पंचनामा प्र.पी. 8 बनाया, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

09/ इसी साक्षी का यह भी कहना है कि बद्रीलाल तथा मानसिंह से जप्त सामान के संबंध में उसके द्वारा प्र.पी. 1 का मौका पंचनामा तैयार किया था जिस पर सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा आरोपीगण से जप्त सामान को सीलबंद करने का पंचनामा प्र.पी. 9 बनाया था तथा सीलिंग पंचनामे में दो बाटल में सियार का मांस एवं एक पाउच में जरख के बाल रखकर सील किया था, उसके बाद उक्त आरोपी बद्रीलाल व मानसिंह से जप्त फंदों को सील कर सीलिंग पंचनामा प्र.पी. 10 बनाया था, प्र.पी. 9 एवं प्र.पी. 10 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, फिर उसके द्वारा अपराध के संबंध में पी.ओ.आर. क. 25615/1 जारी किया था जो प्र.पी. 11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं 19.01.17 को आरोपी बद्रीलाल से पूछताछ करने पर उसने बताया था कि

उसके घर भारतीय पेंगुलिन का शल्क तथा पंछी पकड़ने का पिंजरा रखा है जो आरोपी द्वारा पेश करने पर साक्षीगण के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 12 बनाया तथा बद्रीलाल से उक्त सामान जप्त होने के संबंध में मौके का पंचनामा प्र. पी. 3 तैयार किया था, जप्ती पंचनामा प्र.पी. 12 के ए से ए तथा मौका पंचनामा प्र. पी. 3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त सामान को सीलबंद कर सीलिंग पंचनामा प्र.पी. 13 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10/ डी.के.उपाध्याय(परि0सा0–1), लक्ष्मीनारायण रोसिया (परि0सा0–2), शिशुपालसिंह जाट (परि0सा0–4), निर्भयसिंह (परि0सा0–5) एवं महेश भानेरिया (परि0सा0–6)– उक्त सभी साक्षियों द्वारा भी अपने न्यायालयीन कथनों में साक्षी यादवेन्द्र यादव (परि0सा0–3) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुये यह कथन किये हैं कि दिनांक 17.00.17 को मुखबिर की सूचना वनपरिक्षेत्र सहायक लक्ष्मीनारायण रोशिया को मिलने पर वह उक्त सभी साक्षियों के वन अमले के साथ ग्राम मीरूखेड़ी पहुंचे और आरोपी बद्रीलाल एवं मानसिंह के घर की तलाशी ली, तलाशी के दौरान बद्रीलाल से सियार का कटा हुआ सिर, देड़ किलो सियार का ताला मांस,शेर पकड़ने के फंदे सात नग एवं फंदे बनाने की अन्य सामग्री व जरख (हायना) के बाल एवं दो कोबरा सांप व एक दो मुंह वाला सांप मिले तथा आरोपी मानसिंह के घर से एक किलो सियार का मांस, दो कोबरा सांप, चार शेर पकड़ने के लोहे के फंदे मिले थे, जिनका जप्ती पंचनामा प्र.पी. 7 एवं प्र.पी. 8 तथा पंचनामा प्र.पी. 1 यादवेन्द्र यादव द्वारा तैयार किया गया था तथा उन्होंने यह भी बताया कि मौके पर ही आरोपी बद्रीलाल और मानसिंह से जप्त सामान के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने सियार का शिकार करने तथा खाने के लिये मांस काटना स्वीकार किया था।

11/ लक्ष्मीनारायण रोशिया (परि0सा0–2) एवं साक्षी महेश भानेरिया (परि0सा0–6)– ने यह भी बताया कि दिनांक 19.01.17 को आरोपी बद्रीलाल से पूछताछ कर उसके बयान के आधार पर आरोपी बद्रीलाल से पंक्षी पकड़ने का फंदा व पेंगोलिन का छिलका जप्त कर जप्ती पंचनामा उसके समक्ष बनाया गया था, उनके जप्ती पंचनामे में उनके हस्ताक्षर हैं। साक्षी लक्ष्मीनारायण रोशिया ने यह भी बताया कि उसने आरोपी बद्रीलाल, मानसिंह और प्रहलाद को साक्षीगणों के समक्ष गिरफ्तार किया था। साक्षी डी.के.उपाध्याय (परि0सा0–1)– ने पंचनामा प्र.पी. 1, जप्ती पंचनामा प्र.पी. 2 के ए से ए भाग पर साक्षी लक्ष्मीनारायण रोशिया (परि0सा0–2)– ने पंचनामा प्र.पी. 1 व 2 के बी से बी भाग पर एवं पंचनामा प्र.पी. 3 तथा गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 4,5, 6 के ए से ए भाग पर एवं साक्षी शिवपालसिंह जाट (परि0सा0–4)– ने पंचनामा प्र.पी. 1 के डी से डी तथा गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 4 एवं 5 तथा जप्ती पंचनामा प्र.पी. 7 एवं 8 के बी से बी

(watermark stamp)

से तथा साक्षी निर्भयसिंह (परि0सा0–5)– ने पंचनामा प्र.पी.1 के इ से इ तथा सीलिंग पंचनामा प्र.पी. 10 एवं जप्ती पंचनामा प्र.पी. 12 के बी से बी एवं साक्षी महेश भानेरिया (परि0सा0–6)– ने पंचनामा प्र.पी.1 के एफ से एफ एवं पंचनामा प्र. पी. 3, जप्ती पंचनामा प्र.पी. 7 और 8 के सी से सी भाग पर व गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 6 के बी से बी भाग पर तथा सीलिंग पंचनामा प्र.पी. 13 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

12/ बचाव अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षियों का विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षण किया गया है एवं उनके प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी है, जिससे उक्त साक्षियों की मुख्य परीक्षण की साक्ष्य अविश्वसनीय दर्शित हो या उनकी साक्ष्य पर विश्वास न किया जाये, बल्कि उपरोक्त अभियोजन साक्षीगण प्रतिपरीक्षण में इस बिन्दु पर अडिग रहे हैं कि घटना के समय आरोपी बद्रीलाल और मानसिंह से जप्ती पत्रक प्र.पी. 7, 8 एवं 12 के अनुसार वस्तुऐं जप्त हुई हैं। जप्ती पंचनामा प्र.पी. 7, 8 एवं 12 के अनुसार परिवादी साक्षी यादवेन्द्र यादव (परि0सा0–3)– द्वारा उक्त पंचनामे में आरोपी बद्रीलाल से सियार का कटा सिर, सियार का ताजा मांस देड़ किलो, दो मुंह वाला सांप एक नग जीवित, भारतीय कोबरा सांपा दो नग जीवित, शेर पकड़ने के लोहे के फंदे सात नग, एक नग कुल्हाड़ी, जरख के पूंछ के बाल, लोहे का फंदा बनाने का सामान जिनमें 6 नग कुन्दे, एक नग आरी, एक नग हथौड़ी, एक नग प्लास, दो नग छैनी एवं मौर जलमुर्गी पकड़ने का फंदा, इंडिया पैंगोलिन का एक शल्क तथा आरोपी मानसिंह से सियार का ताजा मांस एक किलो ग्राम लगभग, शेर पकड़ने के लोहे के फंदे चार नग, भारतीय कोबरा सांप नो नग जप्त किया गया है। उक्त जप्ती पंचनामे की कार्यवाही का समर्थन साक्षी यादवेन्द्र यादव (परि0सा0–3), डी.के.उपाध्याय(परि0सा0–1), लक्ष्मीनारायण रोशिया (परि0सा0–2), शिशुपालसिंह जाट (परि0सा0–4), निर्भयसिंह (परि0सा0–5), महेश भानेरिया (परि0सा0–6)– द्वारा किया गया है।

13/ आरोपी बद्रीलाल और मानसिंह से जप्त वस्तुओं के संबंध में वन विभाग के दल द्वारा तैयार जप्ती पत्रक की कार्यवाही को बचाव पक्ष द्वारा इस आधार पर चुनौति दी गयी है एवं तर्क के दौरान यह प्रतिरक्षा भी ली गयी है कि प्रकरण में सर्च वारंट संलग्न नहीं है तथा मौके पर स्वतंत्र साक्षी किशनलाल के कथन नहीं कराये हैं, सभी हितबद्ध साक्षी है। साक्षी निर्भयसिंह ने सिका हुआ मांस जप्त होना बताया है तथा प्रकरण में प्रस्तुत फोटो चार्ट में सियार का कटा सिर नहीं बताया है तथा जप्त मांस को जला कर नष्ट कर देना भी बताया है तथा यह भी बताया है कि फिर मांस को जांच हेतु कैसे भेजा गया तथा उक्त साक्षियों ने मौके पर कार्यवाही हेतु जाने का भिन्न भिन्न समय बताया है तथा जप्ती पत्रक किसी भी स्वतंत्र साक्षी के समक्ष नहीं बनाया गया है, इसलिये प्रकरण में जप्ती संदेहास्पद है।

14 / प्रकरण में प्रस्तुत प्र.पी. 1 के पंचनामे के अनुसार वन विभाग के उक्त कर्मचारी मुखबिर की सूचना केपश्चात् सर्च वारंट के साथ मौके पर पहुंचने का उल्लेख है तथा सर्च वारंट जारी होने के संबंध में साक्षी डी.के.उपाध्याय (परि0सा0—1), यादवेन्द्र यादव (परि0सा0—3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में एवं महेश भानेरिया (परि0सा0—6) द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में सर्च वारंट प्राप्त कर साथ में लेकर जाना और आरोपी बद्रीलाल और मानसिंह को दिखाना बताया है, इसलिये, भले ही प्रकरण में सर्च वारंट संलग्न न हो, परन्तु प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि वन विभाग के उक्त साक्षी डी.के.उपाध्याय द्वारा सर्च वारंट प्राप्त किया गया था, इसलिये, सर्च वारंट के संबंध में आरोपीगण की प्रतिरक्षा मान्य करने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त प्र.पी. 1 के पंचनामे में स्वतंत्र साक्षी किशनलाल के हस्ताक्षर है। परन्तु, वन विभाग द्वारा स्वतंत्र साक्षी किशनलाल को प्रकरण में साक्षी नहीं बनाया गया है। इस संबंध में **<u>न्यायदृष्टांत स्टेट आफ एम. पी. विरूद्ध पलटन मल्हा 2005 वाल्यूम—3 एस.सी.सी. 169 में माननीय उच्चतम न्यायालय</u>** द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी ने उसी क्षेत्र के गवाह तलाशी में न लिये हों यदि दं. प्र.सं. के प्रावधानों का जो मार्गदर्शक होते हैं थोड़ा उल्लंघन हुआ है, तब भी न्यायालय को यह विवेकाधिकार है कि वह तय करे कि साक्ष्य स्वीकार योग्य है या नहीं।

15 / वर्तमान प्रकरण में भले ही स्वतंत्र साक्षी किशनलाल को साक्षी नहीं बनाया है परन्तु, उपरोक्त न्यायदृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में यह मान्य करने योग्य प्रकट नहीं होता कि प्रकरण में जप्ती पंचनामा के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य को स्वीकार न किया जाये। उपरोक्त के अलावा प्रकरण में आरोपी बद्रीलाल एवं मानसिंह से जप्ती पत्रक प्र.पी. 7, 8 एवं 12 के मुताबिक जो वस्तुऐं जप्त की गयी है, उनके संबंध में प्रस्तुत साक्षी यादवेन्द्र यादव (परि0सा0—3), डी. के.उपाध्याय(परि0सा0—1), लक्ष्मीनारायण रोशिया (परि0सा0—2), शिशुपालसिंह जाट (परि0सा0—4), निर्भयसिंह (परि0सा0—5), महेश भानेरिया (परि0सा0—6)— द्वारा स्पष्ट कथन किये गये हैं। उनके कथनों में ऐसी कोई महत्वपूर्ण विरोधाभासी साक्ष्य नहीं आयी है, जिससे उनके मुख्य परीक्षण की साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।

16 / उपरोक्त के अलावा प्रकरण में मौके पर ही सियार का ताजा मांस जप्त होना आरोपी बद्रीलाल और मानसिंह से बताया गया है। साथ ही साक्षी निर्भयसिंह (परि0सा0—5) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में सिका हुआ मांस जप्त होना बताया है, जबकि प्रकरण में अन्य उपरोक्त प्रस्तुत साक्षियों द्वारा सियार का ताजा मांस जप्त होना अपनी साक्ष्य में बताया है। जहां कि प्रकरण के मुख्य

साक्षियों द्वारा मौके पर कार्यवाही करते हुये आरोपी बद्रीलाल एवं मानसिंह से सियार का ताजा मांस जप्त करना बताया है, वहां साक्षी निर्भयसिंह द्वारा सिका हुआ मांस जप्त होना कहने से यह मान्य करने योग्य प्रकट नहीं होता कि आरोपीगणों से सिका हुआ मांस जप्त हुआ था और न ही निर्भयसिंह को छोड़कर उक्त साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।

17/ उपरोक्त के अलावा परिवादी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार(ए.सी.एफ.) (परि.सा.10) द्वारा प्रस्तुत उक्त परिवाद में आरोपी बद्रीलाल और मानसिंह से जप्त जिन्दा भारतीय कोबरा नाग, सियार का कटा हुआ सिर एवं सियार का ताजा मांस के जो छायाचित्र प्रस्तुत किये गये है जो परिवादी को प्रकरण अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त होने पर परिवादी को केस डायरी के साथ प्राप्त हुये थे, उसमें स्पष्ट रूप से सियार का कटा हुआ सिर चित्र क्र. 3 में दर्शित हो रहा है, इसलिये, बचाव पक्ष की यह प्रतिरक्षा स्वीकार योग्य नहीं है कि आरोपी बद्रीलाल से सियार का कटा हुआ सिर जप्त नहीं हुआ था। इसी के साथ बचाव पक्ष की यह प्रतिरक्षा भी स्वीकार योग्य नहीं है कि आरोपीगण से जप्त सियार का कटा हुआ सिर और ताजा मांस को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा न्यायालय के आदेश से जला कर नष्ट कर दिया है, क्योंकि साक्षी यादवेन्द्र यादव (परि.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में बताया है कि उसने मांस को डिब्बी में रखकर सीलबंद किया था और जिस बाटल में मांस जप्त किया था वह प्लास्टिक की थी। इस संबंध में साक्षी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार (परि.सा.10) का कहना है कि उसे दिनांक 27.01.17 को नरसिंहगढ़ के रेंज आफिसर डी.के.उपाध्याय ने अग्रिम विवेचना हेतु लिखित आदेश के माध्यम से प्रदान की थी जो प्र.पी. 29 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर वनक्षेत्रपाल डी.के.उपाध्याय के हस्ताक्षर है। उक्त आदेश के पृष्ठ 2 में परिवादी को केस डायरी के साथ जप्त सामग्री की सूची में सामग्री क्र. 1 लगायत 18 में शेर पकड़ने के फंदे, फंदे बनाने का सामान, सियार के मांस का सेम्पल, जरख के बाल का सेम्पल, जरख के बाल सीलबंद, पैंगोलिन का शल्क सीलबंद, मोर पकड़ने का फंटा सीलबंद प्राप्त हुआ था, उक्त सामग्री को उसके द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयोग शाला में परीक्षण हेतु भेजना बताया गया है। इसलिये, बचाव पक्ष की यह प्रतिरक्षा भी स्वीकार योग्य नहीं है कि प्रकरण में आरोपीगण से जप्त सियार का मांस को जांच हेतु सीलबंद न किया जाकर संपूर्ण जला दिया गया हो तथा साक्षी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार द्वारा अपनी साक्ष्य में यह भी बताया गया है कि आरोपी बद्रीलाल और मानसिंह से उक्त सामग्री पूर्व विवेचना अधिकारी द्वारा जप्त की गयी थी तथा इसी परिवादी साक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि उसके द्वारा प्रकरण में जप्त वस्तुओं की जांच फोरेन्सिक लेब हैदराबाद से करायी थी, जो हैदराबाद से उनके कार्यालय को प्राप्त हुई थी, रिपोर्ट प्र.पी. 47 है। उक्त रिपोर्ट में जो मांस उसके द्वारा जांच हेतु भेजा गया था उसकी प्रजाति सियार की होना बतायी है।

18/ उपरोक्त के अलावा जप्ती पत्र प्र.पी. 7 एवं 8 पर साक्षी शिशुपालसिंह जाट (परि.सा.4) के बी से बी तथा साक्षी महेश कुमार भानेरिया (परि. सा.6) के सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है। जप्त पत्र प्र.पी. 12 के बी से बी भाग पर साक्षी निर्भयसिंह (परि.सा.5) के हस्ताक्षर एवं सी से सी भाग पर साक्षी महेश भानेरिया (परि.सा.5) के हस्ताक्षर होना उनके द्वारा स्वीकार किया गया है और उक्त साक्षियों द्वारा उनके समक्ष जप्ती पत्र प्र.पी. 7, 8 एवं 12 के मुताबिक आरोपी बद्रीलाल एवं मानसिंह से जप्तशुदा सामग्री जप्त करना बताया है।

19/ वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा 57 में यह प्रावधानित किया गया है कि जहां इस अधिनियम के विरूद्ध अपराध के अभियोजन में यह सिद्ध हो जाता है कि वह व्यक्ति किसी बंदी पशु, पशु वस्तु, मांस, ट्राफी या अशोधित ट्राफी उसके भाग या उनसे प्राप्त वस्तु को अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखे हैं, तब जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं होता है, जिसको सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर होगा यह अनुमान किया जायेगा कि उक्त व्यक्ति उक्त बंदी पशु, पशु वस्तु, मांस, ट्राफी, अशोधित ट्राफी के अवैधानिक कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है।

20/ वर्तमान प्रकरण में भी आरोपी बद्रीलाल और मानसिंह से जंगली सियार का कटा हुआ सिर, सियार का मांस, दो मुंह का सांप, चार भारतीय कोबरा नाग एवं जरख के पूंछ के बाल, शेर पकड़ने के लोहे के पिंजरे 11 नग मौके पर तलाशी में पाये जाने से जप्त करना बताया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 57 के प्रावधान के अनुसार आरोपीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि उक्त सामग्री उनके पास से वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा जप्त न की गयी हो अथवा उक्त सामग्री आरोपीगण ने अवैध रूप से अपने आधिपत्य में न रखी हो। इसके अतिरिक्त आरोपीगण से उक्त सामान की जप्ती के संबंध में साक्षी लक्ष्मीनारायण रोशिया (परि.सा2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि बद्रीलाल और मानसिंह से पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया था कि वह लोग सियार का मांस खाते है और साक्षी लक्ष्मीनारायण रोशिया द्वारा आरोपी बद्रीलाल और मानसिंह से पूछताछ में लिये गये कथन अभिलेख पर उपलब्ध है, जिसमें आरोपीगण द्वारा जंगली सियार को फंदे में फसा कर मारा जाना और आपस में मांस को बांट लेना और अचानक दोपहर में वन विभाग का अमला उनके घर पहुंचना तथा उनसे सियार का ताजा मांस, दो मुंह वाला सांप, कोबरा सांप चार नग और शेर पकड़ने के लोहे के फंदे 11 नग और फंदे बनाने का सामान, जरख के बाल बरामद करना बताया है। उक्त तथ्य का समर्थन साक्षी डी. के.उपाध्याय (परि.सा.1), यादवेन्द्र यादव (परि.सा.– 3) एवं साक्षी महेश भानेरिया

(परि.सा.6) द्वारा अपने कथनों में किया है।

21/ ऐसी स्थिति में जप्ती पत्रकों पर स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर न होने या स्वतंत्र साक्षी के समक्ष जप्त पत्रक न बनाये जाने से यह स्वीकार योग्य नहीं है कि वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आरोपीगण से जप्ती पत्र प्र.पी. 7, 8 एवं 12 के मुताबिक सामग्री जप्त न की हो।

22/ जहां तक बचाव पक्ष की यह प्रतिरक्षा कि प्रकरण में जप्ती के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं, इस संबंध में निम्न न्यायदृष्टांत अवलोकनीय है–

रामू उर्फ रमेश विरूद्ध स्टेट आफ एम.पी. 2003 (3) एम.पी.एल.जे. 31 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि हितबद्ध साक्षी की साक्ष्य की स्वतंत्र साक्षी से पुष्टि आवश्यक नहीं है, यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट होती है कि साक्षी की साक्ष्य सत्य है एवं अन्य न्यायदृष्टंत **जुगरू विरूद्ध स्टेट आफ एम.पी. 2004 (1) एम.पी.एल.जे. 530 में माननीय उच्च न्यायालय** द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि कोई गवाह हितबद्ध गवाह है, मात्र इस आधार पर उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं मानी जा सकती जब तक कि यह प्रमाणित न हो कि उसका असली अपराध को बचाने में और निर्दोष को लिप्त करने में हेतु है एवं अन्य **न्यायदृष्टांत स्टेट आफ राजस्थान विरूद्ध श्रीमती कालकी ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1390 में माननीय उच्चतम न्यायालय** की तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी साक्षी को हितबद्ध साक्षी तभी कहा जा सकता है, जब उसे विवाद के नतीजे से कुछ लाभ होता हो एवं अन्य **न्यायदृष्टांत तकदीर शमशुद्नी विरूद्ध स्टेट आफ गुजरात ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 37 में माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि हितबद्ध गवाह उसे कहा जा सकता है जो अभियुक्त को किसी तरह सजा हो जाये उससे सीधा हित रखता हो।

23/ उपरोक्त न्यायदृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में वर्तमान प्रकरण में जप्ती पत्रकों के संबंध में जिन साक्षियों के कथन अभियोजन की ओर से कराये गये हैं, उनका आरोपीगण को सजा दिलाने में कोई हित हो, ऐसा परिलक्षित नहीं होता है, क्योंकि, वन विभाग को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच हेतु वह लोग आरोपीगण के यहां मीरूखेड़ी गये थे और तलाशी में आरोपी बद्रीलाल और मानसिंह से जप्ती पत्र प्र.पी. 7, 8, 12 के मुताबिक सामग्री जप्त हुई थी। इसलिये, बचाव पक्ष का यह प्रतिरक्षा भी मान्य करने योग्य नहीं है कि प्रकरण में जप्ती के संबंध में प्रस्तुत साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं।

24/ उपरोक्तानुसार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण उपरांत यह प्रमाणित हुआ है कि मुखबिर की सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम आरोपी बद्रीलाल एवं मानसिंह के सर्च वारंट सहित गयी और उनके घर व आसपास की तलाशी लेने पर आरोपी बद्रीलाल से सियार का कटा सिर, सियार का ताजा मांस देड़ किलो, दो मुंह वाला सांप एक नग जीवित, भारतीय कोबरा सांपा दो नग जीवित, शेर पकड़ने के लोहे के फंदे सात नग, एक नग कुल्हाड़ी, जरख के पूंछ के बाल, लोहे का फंदा बनाने का सामान जिनमें 6 नग कुन्दे, एक नग आरी, एक नग हथौड़ी, एक नग प्लास, दो नग छैनी एवं मोर जलमुर्गी पकड़ने का फंदा, इंडिया पैंगोलिन का एक शल्क तथा आरोपी मानसिंह से सियार का ताजा मांस एक किलो ग्राम लगभग, शेर पकड़ने का लोहे के फंदे चार नग, भारतीय कोबरा सांप दो नग जप्त किया गया है।

25/ अब न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्तगण उक्त वन्य जीवों के अंगों व अवयवों का मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में शिकार करते हैं, उनके अंगों का व्यापार करते हैं और वन्य जीवों के अंगों का अवैध अंतर्राज्जीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित गिरोह के रूप में व्यापार करते हैं?

26/ यादवेन्द्र यादव (परि.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में आगे बताया है कि पूछताछ के दौरान बद्रीलाल ने बताया था कि सीहोर चांदबड़ निवासी आरोपी प्रहलाद वल्द शोकू को नवले और सुअर के बाल तथा अन्य जानवरों के अंग बेंचने के संबंध में जानकारी दी थी जिसके आधार पर वह प्रहलाद की तलाशी के लिये सीहोर गये थे और प्रहलाद को पकड़कर नरसिंहगढ़ लाये थे। प्रहलाद से पूछताछ करने पर प्रहलाद ने बताया था कि उक्त जानवरों के अंग को वह गुना निवासी रघुवीर को बेंचता है, प्रहलाद को चार पांच फोटो दिखाने पर जिसमें से उसने रघुवीर को पहचाना था जिसका शनाख्तगी पंचनामा प्र.पी. 14 उसके द्वारा तैयार किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी यादवेन्द्र यादव (परि. सा.3) की उक्त साक्ष्य का समर्थन साक्षी लक्ष्मीनारायण रोशिया (परि.सा.2) द्वारा किया गया है, जिसमें उसने बताया कि आरोपी बद्रीलाल से पूछताछ करने पर उन्होंने जरख के बाल को बेंचने के संबंध में जानकारी दी थी। इसी तरह साक्षी यादवेन्द्र यादव (परि.सा.3), साक्षी महेश भानेरिया (परि.सा.6) ने अपनी साक्ष्यमे किया है, जिसमें उसने बताया है कि बद्रीलाल से पूछताछ के दौरान प्रहलाद निवासी चांदबड़ जिला सीहोर को दिनांक 19.01.17 को पूछताछ के लिये लाये थे एवं दिनांक 20.01.17 को प्रहलाद ने रघुवीर की फोटो की शिनाख्तगी की थी, शख्नातगी पंचनामा प्र.पी. 14 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी साक्षी का यह भी कहना है कि मौके पर ही यादवेन्द्र यादव (परि.सा.3) ने नजरिया नक्शा प्र.पी. 15 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव

पक्ष द्वारा नजरिया नक्शा प्र.पी. 15 की कार्यवाही को विवादित नहीं किया है।

27/ बचाव अधिवक्ता द्वारा साक्षी यादवेन्द्र यादव(परि.सा.3) , लक्ष्मीनारायण रोशिया(परि.सा.2), महेश भानेरिया (परि.सा.6) का विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षण किया गया है, जिनके प्रतिपरीक्षण की साक्ष्य में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी है, जिससे उक्त साक्षियों की मुख्य परीक्षण की साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत हो या उनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सके। बल्कि प्रतिपरीक्षण में भी उक्त साक्षी अपने मुख्य परीक्षण की साक्ष्य पर अडिग रहे हैं। इसलिये, उनकी साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

28/ रवि शर्मा (परि.सा.8)– ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 14.03.17 को राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल में प्रभारी अधिकारी द्वारा वोडफोन के नंबर 9713867135 तथा दूसरा मोबाइन नं. 8303429462 के सी.डी.आर. संबंधित कम्पनी को मेल करके सी.डी.आर. मंगाने के लिये निर्देशित किया था, उसने संबंधित कम्पनी को मेल कर सी.डी.आर. मांगे थे, उक्त मेल शासकीय मेल आई.डी. acf.stsf@mp.gov.in पर प्राप्त हुई थी जिसे उसने कार्यालय के शासकीय कम्प्यूटर से प्रिन्ट किया था, किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं की थी, सी.डी. जांच अधिकारी को सीलबंद दी थी, जिसका प्रमाणपत्र प्र.पी. 22 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी है जिससे इस साक्षी की उक्त साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। अतः साक्षी रवि शर्मा की उक्त साक्ष्य अखंडित रहने से उस पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार प्रकट नहीं हेाता है।

29/ साक्षी अवधेश सिंह परमार (परि.सा.9)– ने कथनों में बताया है कि वह क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स इंदौर में वनपाल के पद पर है, नरसिंहगढ़ ब्यावरा के वन अपराध क्र. 25615/1 दिनांक 17.01.17 के अन्वेषण में वह अपनी टीम के साथ दिनांक 30.01.17 को पहले से गिरफ्तार आरोपी प्रहलाद को अन्य आरोपी की शिनाख्तगी कराने साथ लेकर गुना गये थे, उसकी टीम में वनरक्षक प्रदीप यादव, वह स्वयं, रेंजर इंदरसिंह, वनपाल शेखर एवं प्रभारी श्रीमती प्रतिभा मेडम थी, आरोपी प्रहलाद को गुना रेल्वे स्टेशन के बाहर प्रांगण में लेकर गये, जहां मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी रघुवीर रेल्वे स्टेशन गुना के पास आने वाला है, उस समय रात्रि 11:30 का समय था, आरोपी रघुवीर को स्टेशन पर पकड़ा जिसकी शिनाख्त आरोपी प्रहलाद से करायी, आरोपी प्रहलाद ने रघुवीर की शिनाख्त की गयी,फिर वे लोग आरोपी रघुवीर को रेंज कार्यालय नरसिंहगढ़ लाये जहां उसने आरोपी रघुवीर से पूछताछ कर बयान पूरी टीम के सामने लिया था, रघुवीर ने बताया कि उसने आरोपी प्रहलाद से नेवले और सुअर के बाल खरीदे थे, उन बालों को उसने कानपुर के मोहम्मद शमीम को बेंचा था, उसके द्वारा

आरोपी का लिया गया बयान प्र.पी. 23 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि आरोपी रघुवीर के अन्य आरोपियों से भी संबंध थे, मोहम्मद एहमद इससे भी उसका वन्य प्राणी के अंगों का खरीदी बिक्री का कार्य चलता था, उसके बाद न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर आरोपी रघुवीर से कानपुर के शमीम जिसे वह वन्य प्राणियों के अंग बेंचता था, जिसके फोटो की शिनाख्तगी करायी, जिसका पंचनामा प्र.पी. 24 उसके द्वारा बनाया गया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, फिर उनकी टीम रघुवीर को लेकर कानपुर रवाना हुई, वहां पहुंचने पर रघुवीर द्वारा आरोपी शमीम के मकान की दूर से शिनाख्तगी की एवं दिनांक 05.02.17 तक आरोपी शमीम की रेकी करने के बाद उक्त दिनांक को आरोपी शमीम निकला जिसे अलवरगंज थाने के पास गिरफ्तार किया जिसकी सूचनउा अलवरगंज थाने पर की, आरोपी शमीम को और रघुवीर को लेकर नरसिंहगढ़ आये थे, जहां आरोपी शमीम का बयान उसके सामने लिया था, शमीम के पास से मोबाइल की जप्ती हुई थी जिसका जप्ती पत्र प्र.पी. 21 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी का यह भी कहना है कि आरोपी शमीम ने आरोपी रघुवीर से गुना आकर वन्य प्राणियों के अंगों की खरीद फरोख्त कर व्यापार करना बताया था, आरोपी शमीम के दूसरे जिलों में भी वन्य प्राणियों के अंगों के व्यापार के संबंध में अन्य व्यक्तियों से संबंध हैं, इस हेतु आरोपी शमीम को भोपाल लेकर आये और फिर इटारसी ले गये, आरोपी शमीम का फोटो शिनाख्तगी पंचनामा प्र.पी. 25 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जो उसके द्वारा तैयार किया था तथा उसी के द्वारा आरोपी रघुवीर और प्रहलाद का शिनाख्तगी पंचनामा प्र.पी. 26 एवं दिनांक 31.07.17 का पंचनामा प्र.पी. 27 तथा आरोपी शमीम के घर का नजरिया नक्शा प्र.पी. 28 उसके द्वारा तैयार किया था, उक्त दस्तोवजों के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

30/ प्रदीप यादव (परि.सा.7)— ने अपने न्यायालयीन कथनों में साक्षी अवधेश सिंह परमार (परि.सा.9)— द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के समान ही अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हुये साक्षी अवधेशसिंह परमार (परि.सा.9) की साक्ष्य का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। साक्षी प्रदीप यादव (परि.सा.7) ने आगे यह भी बताया है कि आरोपी रघुवीर ने पूछताछ में वन्य प्राणी पैंगोलिन के शल्क को भी बेंचने की जानकारी दी थी और बताया था कि फोन के द्वारा अधिकतर बातें व्यापार के संबंध में होती थी, कभी मोहम्मद शमीम वन्य प्राणियों के अंगों को खरीद के ले जाता और कभी आरोपी रघुवीर खुद ने वन्य प्राणियों के अंग को लेकर मोहम्मर शमीम को दिये। साक्षी प्रदीप यादव ने आरोपी रघुवीर के गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 16 के ए से ए तथा रघुवीर से जप्त वस्तुओं का जप्ती पंचनामा प्र.पी. 17 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं तथा यह भी कहा है कि कार्यालय में आरोपी प्रहलाद ने रघुवीर के फोटो की पहचान की थी,

जिसकी फोटो उसने मोबाइल से निकाली थी और कार्यालय कम्प्यूटर से सी.डी. बनायी थी जिसका प्रमाणपत्र प्र.पी. 18 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा इस साक्षी ने इटारसी में आरोपी मोहम्मद शमीम आता जाता रहा है इसका मौका शिनाख्तगी पंचनामा प्र.पी. 20 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है तथा आरोपी शमीम से जप्त वस्तुओं का पंचनामा प्र.पी. 21 पर भी ए से एभाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

31/ साक्षी अवधेशसिंह परमार (परि.सा.9) एवं प्रदीप यादव (परि.सा.7)— का बचाव अधिवक्ता द्वारा विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षण किया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी प्रदीप यादव ने यह सही कहा है कि आरोपी रघुवीर की पहचान प्रहलाद से उसके सामने नहीं करायी गयी थी एवं यह भी कहा है कि प्र.पी. 20 में जिन व्यक्तियों से फोटो की पहचान करायी थी, उन लोगों के कथन उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिये थे या नहीं, उसे नहीं पता। साक्षी प्रदीप यादव द्वारा प्रस्तुत प्रतिपरीक्षण की उक्त साक्ष्य से विपरीत अनुमान नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि, आरोपी प्रहलाद द्वारा आरोपी रघुवीर की पहचान की गयी है एवं आरोपी प्रहलाद द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर ही आरोपी रघुवीर को गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण में आरोपी प्रहलाद और रघुवीर की गिरफ्तारी वन विभाग द्वारा प्रकरण में की गयी है। इसी तरह साक्षी अवधेशसिंह परमार (परि.सा. 9)— ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह सही कहा है कि प्र.पी. 24 के दस्तावेज पर जो फोटो चस्पा है, वह आरोपीगण की गिरफ्तारी के समय के हैं, की साक्ष्य से कोई विपरीत अनुमान नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा आरोपीगणों के फोटो को विवादित नहीं किया गया है तथा साक्षी अवधेशसिंह परमार (परि.सा.9) एवं साक्षी प्रदीप यादव (परि.सा.7) के प्रतिपरीक्षण में अन्य ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी है जिससे उनके मुख्य परीक्षण की साक्ष्य पर अविश्वास किया जाये, बल्कि उक्त दोनों साक्षीगण प्रतिपरीक्षण में इस बिन्दु पर अडिग रहे हैं कि उनकी टीम द्वारा आरोपी प्रहलाद, रघुवीर और शमीम से पूछताछ करने पर आरोपी रघुवीर द्वारा प्रहलाद से नेवले एवं सुअर के बाल खरीद कर कानपुर के आरोपी शमीम को विक्रय करना और इंडियन पैंगोलिन के शल्क को भी आरोपी शमीम और अन्य आरोपी मोहम्मद एहमद को विक्रय करना बताया है।

32/ श्रीमती प्रतिभा अहिरवार (ए.सी.एफ.) (परि.सा.10)— यह साक्षी प्रकरण की अनुसंधान अधिकारी है, इस साक्षी ने अपने कथनों में बताया कि उसे उक्त प्रकरण की केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त होने के पश्चात् उसके द्वारा पूर्व में गिरफ्तार आरोपी मानसिंह, प्रहलाद, बद्रीलाल को पुनः पी.आर. पर लिया और पूछताछ करने पर आरोपी प्रहलाद द्वारा वन्य प्राणी के अंगों का जो वह अन्य सपेरों व व्यक्तियों से खरीदने की जानकारी दी थी तथा उसी ने आरोपी रघुवीर द्वारा उससे वन्य प्राणी के अंग नेवले के बाल, वन्य प्राणी की खाल आदि खरीदने

के संबंध में जानकारी दी थी, उसके द्वारा आरोपी रघुवीर के संबंध में आरोपी प्रहलाद से शिनाख्तगी करायी थी और अपने स्टाफ के साथ शाम के समय गुना रेल्वे स्टेशन गयी थी जहां मुखबिर कीसूचना थी कि आरोपी रघुवीर गुना रेल्वे स्टेशन आने वाला है, रात्रि 11 बजे आरोपी रघुवीर रेल्वे स्टेशन पर आया, उसकी आरोपी प्रहलाद ने शिनाख्तगी की, उसके बाद वह अपनी टीम के के साथ आरोपी रघुवीर को गिरफ्तार कर नरसिंहगढ रेंज आफिस लेकर आये, उसके द्वारा रेल्वे स्टेशन प्रांण गुना में आरोपी रघुवीर की पहचान प्रहलाद से कराने के संबंध में शिनाख्तगी पंचनामा प्र.पी. 26 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

33/ इसी साक्षी ने बताया कि आरोपी रघुवीर द्वारा उसे बताया कि वन्य प्राणियों के अवयवों को वह खरीद कर आरोपी शमीम को बेंचते थे, पी.आर. के दौरान वह आरोपी रघुवीर को आरोपी शमीम के संबंध में लेकर कानपुर गयी, जहां आरोपी रघुवीर द्वारा आरोपी शमीम के घर का पता बताया, जिसके संबंध में शमीम के घर का नक्शा प्र.पी. 28 बनाया जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, कानपुर पहुंचने के दौरान आरोपी शमीम का मुखबिर द्वारा फोटो मोबाइल पर प्राप्त हुआ था, रघुवीर ने मोबाइल में फोटो देखकर आरोपी शमीम की शिनाख्तगी की थी जिसका शिनाख्तगी पंचनामा प्र.पी. 25 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, कानपुर पहुंचने के चार दिन बाद आरोपी शमीम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 19 बनाया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, गिरॅफतारी की सूचना स्थानीय थाने को दी, गिरफ्तारी के बाद आरोपी शमीम की शिनाख्तगी आरोपी रघुवीर से करायी थी जिसका पंचनामा प्र.पी. 24 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी साक्षी का आगे कहना है कि उसके द्वारा आरोपी प्रहलाद से पूछताछ करने पर उसके द्वारा वन्य प्राणियों के अवयव मलावर जगह से खरीदना बताया था, तब वह आरोपी प्रहलाद, बद्री और मानसिंह को मलावर लेकर गयी गयी थी, जहां पंचनामा प्र.पी. 27 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, उक्त जानकारी आरोपी प्रहलाद द्वारा इस साक्षी द्वारा आरोपी प्रहलाद से पूछताछ करने पर दिये गये बयान प्र.पी. 31 में बताना कहा है जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

34/ इसी साक्षी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार (ए.सी.एफ.) (परि.सा.10)— ने आगे यह कथन किया है कि उसने आरोपी शमीम से पूछताछ के दौरान उसका कथन प्र.पी. 30 लेख किया था, जिसके ए से ए, बी से बी, सी से सी, डी. से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, आरोपी शमीम ने बताया था जहां जहां जिस जिस व्यक्तियों से वह वन्य प्राणियों के अवयव खरीदता बेंचता है तथा शमीम ने फतेहपुर और कलकत्ता के व्यक्तियों के नाम बताये थे, जिसमें मोहम्मद नईम कलकत्ता एवं एहमद फतेहपुर का बताया था तथा शमीम द्वारा दी गयी जानकारी

पर उसे होशंगाबाद, इटारसी ले जाया गया था जहां उसे आरोपी शमीम ने वर्ष 2001 में बाघ की खाल और हडिडयां खरीदना बताया था तथा वहां पर उस पते की शिनाख्तगी की थी, जहां आसपास के लोगों द्वारा बताया था कि वह किराये पर रहता था, शमीम ने अन्य व्यक्ति नईम जो कलकत्ता का रहने वाला है, उसके संबंध में बताया कि वह अन्य व्यक्ति नईम को वन्य प्राणियों के अवयव पहले से बेंचा करता था, आरोपी शमीम पर होशंगाबाद में भी एक अपराध दर्ज हुआ था, वहां के अपराध में जो अपराधी लिप्त थे, उनसे जानवरों के अवयव खरीदे गये थे तथा वहां से उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण के बारे में जानकारी ली थी एवं विवेचना अधिकारी से संबंधित प्रकरणों की छायाप्रति भी ली थी। इसी साक्षी का आगे कहना है कि उसके द्वारा प्रकरण में जो आरोपी शामिल थे, जिनमें जो व्यक्ति फरार थे, उसका एक चार्ट प्र.पी. 32 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा उसके द्वारा अपने मोबाइल मोटोई पावर से आरोपी के फोटो प्राप्त किया था, जिसके संबंध में डिजिटल साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र प्र.पी. 33 जारी किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपीगण से जप्त लोहे के फंदे जो टाइगर व पेन्थर के शिकार में काम आते हैं, उस संबंध में छायाचित्र लगा हुआ प्रमाणपत्र प्र.पी. 34 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, आरोपीगण से जप्त कोबरा व सेन्डबुआ दो मुंह वाला सांप जंगल में छोड़ने के संबंध में सी.डी. तैयार की थी जो प्र.पी. 35 हैं।

35/ साक्षी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार (ए.सी.एफ.) (परि.सा.10)– ने अपने कथनों में आगे यह भी कहा है कि उसके द्वारा आरोपी रघुवीर का बयान अपने समक्ष दर्ज कराया था जिसके बी से बी और सी से सी भाग पर उसके और डी से डी भाग पर आरोपी रघुवीर के हस्ताक्षर हैं, उसके द्वारा रघुवीर के संबंध में रघुवीर द्वारा आरोपी शमीम को जानवरों के विक्रय किये गये अवयवों से जो पैसा अपने खाते में प्राप्त किया था उसकी जानकारी लेने के लिये बैंक मैनेजर को पत्र जारी किये थे जो प्र.पी. 36 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा उसने बैंक मैंनेजर बैंक आफ इंडिया को गिरफ्तार आरोपी द्वारा जंगली जानवरों के क्रय विक्रय के संबंध में डिटेल प्राप्त करने के लिये जारी पत्रप्र.पी. 37 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने आगे बताया कि उसे बैंक आफ इंडिया ने आरोपी रघुवीर के बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति प्रदान की थी जो प्र.पी. 38 एवं प्र.पी. 39 है, जिन पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

36/ इसी साक्षी ने आगे बताया कि उसके द्वारा मोबाइल काल डिटेल की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये प्रभारी साइबर सेल भोपाल को पत्र जारी किया था, जो प्र.पी. 40 है जिसके ए से ए और बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उस पत्र के पालन में उसे साइबर सेल भोपाल से आरोपीगण की काल डिटेल प्राप्त हुई थी जो उसने मूल रूप से प्रकरण में संलग्न की है तथा उसके द्वारा आरोपी

रघुवीर के बैंक स्टेटमेन्ट के वाउचर प्राप्त करने के संबंध में बैंक आफ इंडिया के मैनेजर को पत्र जारी किया था, जो प्र.पी. 41 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसी के द्वारा प्रकरण में जप्त वस्तुऐं मांस, फंदे, हायना के बाल आदि हैदराबाद फारेन्सिक जांच हेतु भेजे थे, जिसके संबंध में लिखा पत्र प्र.पी. 42 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसके द्वारा प्रकरण में जप्त वस्तुओं की हैदराबाद से फारेन्सिक लेब से जांच कराने के बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जो प्र.पी. 47 है, उक्त रिपोर्ट को उसके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत करने के संबंध में प्र.पी. 48 का पत्र तैयार किया था, फारेन्सिक रिपोर्ट में उसके द्वारा जांच हेतु भेजा गया मांस की प्रजाति सियार की होना बतायी थी।

37/ साक्षी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार (ए.सी.एफ.) (परि.सा.10)– ने अपने कथनों में आगे यह भी कहा है कि उसके द्वारा आरोपी रघुवीर का माननीय न्यायालय श्री मुकेश नाथ के समक्ष धारा 164 द.प्र.सं. के तहत कराये थे, जिसकी प्रमाणित प्रति उसे प्राप्त हुई थी, जो प्र.पी. 43 है तथा आरोपी रघुवीर के मूल धारा 164 द.प्र.सं.के कथन भी प्रकरण में संलग्न हैं। आरोपी रघुवीर के धारा 164 द.प्रसं. के कथनों को आरोपीगण की ओर से कोई भी चुनौति नहीं दी गयी है, इसलिये उक्त दस्तावेज अखंडित रहा है तथा इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके द्वारा साक्षी महेश कुमार भानेरिया, शिशुपाल जाट, यादवेन्द्र यादव, निर्भयसिंह राजपूत, लक्ष्मीनारायण रोशिया, डी.के. उपाध्याय, अवधेशसिंह परमार, प्रदीप यादव के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे तथा इस साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रकरण में आरोपी बद्रीलाल, मानसिंह और प्रहलाद के कथन एस.डी.ओ. टाइगर स्ट्राइक फोर्स के संदेश महेश्वरी द्वारा अपने समक्ष लेख कराये गये हैं, जिनने उसके साथ कार्य किया है और वह संदेश महेश्वरी के हस्ताक्षर से भलीभांति परिचित है, आरोपी बद्रीलाल का कबूलियत बयान प्र.पी. 44, मानसिंह का कबूलियत बयान प्र.पी. 45, प्रहलाद का कबूलियत बयान प्र.पी.46 के ए से ए भाग पर एस.डी.ओ. ए.सी.एफ. संदेश महेश्वरी के हस्ताक्षर हैं।

38/ अनुसंधान अधिकारी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार (ए.सी.एफ.) (परि.सा. 10)– द्वारा अनुसंधान में की गयी उपरोक्त कार्यवाही का समर्थन इस साक्षी की टीम में रहे परिवादी साक्षी अवधेशसिंह परमार (परि.सा.9), प्रदीप यादव (परि.सा. 7)– की साक्ष्य से होता है। बचाव अधिवक्तागण द्वारा अनुसंधान अधिकारी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार (परि.सा.10)– का विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षण किया गया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी की साक्ष्य में ऐसी कोई विसंगति या साक्ष्य नहीं आयी है, जिससे इस साक्षी की मुख्य परीक्षण की साक्ष्य पर संदेह या अविश्वास किया जा सके। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव अधिवक्ता द्वारा धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र देने के लिये उक्त साक्षी का अधिकृत न होने के संबंध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में इस साक्षी ने स्वयं को विवेचना अधिकारी होने

के नाते उक्त सर्टिफिकेट देने हेतु अधिकृत होना बताया है तथा इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वाराप्र.पी. 27 का पंचनामा मलावर में तैयार करना तथा कुछ लोगों द्वारा पूछताछ करना बताया है। बचाव अधिवक्ता द्वारा यह पूछने पर कि उसके द्वारा पूछताछ करने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षर पंचनामा पर क्यों नहीं कराये, जिसके संबंध में इस साक्षी ने स्वतः कहा कि उन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था तथा इस साक्षी ने आरोपीगण के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके द्वारा समस्त कार्यवाही फर्जी रूप से तैयार की गयी है। ऐसी स्थिति में अनुसंधान अधिकारी की उक्त साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

39/ वर्तमान प्रकरण में आरोपीगण द्वारा वन्य जीवों के अवयवों व अंगों का अवैध व्यापार करना एवं अवैध अन्तर्राज्जीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हुये वन्य प्राणियों का अवैध रूप से शिकार करना एवं उनके अंगों का व्यापार करने के अपराध को प्रमाणित करने के लिये अभिलेख पर अनुसंधान अधिकारी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार ए.सी.एफ. (परि.सा.10)— द्वारा मुख्य रूप से आरोपीगण के संस्वीकृति के कथन लेना एवं आरोपी रघुवीर द्वारा आरोपी शमीम को वन्य जीवों के अंगों का विक्रय करने के संबंध में अपने खाते में प्राप्त राशियों के संबंध में बैंक आफ इंडिया को जारी पत्र और उनसे प्राप्त बैंक डिटेल की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी है।

40/ साक्षी प्रतिभा अहिरवार ए.सी.एफ.(परि.सा.10)— द्वारा अपने कथनों में बताया कि आरोपी प्रहलाद द्वारा उसे होश हवाश में कथन देते समय यह बताया है कि वह आसपास के ग्राम दोराहा, गुडभेला, डाबली और मलावर एवं बमूलिया गांव के सपेरों से जंगली सुअर के बाल खरीदता था उन सपेरों का नाम उसे नहीं मालूम। तथा जांच टीम द्वारा उसके बताये स्थानों पर साथ ले गये, परन्तु वह लोग घूमकड़ समुदाय के हैं और एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रूकते हैं तथा उसे गुना रेल्वे स्टेशन पर जिस व्यक्ति को दिखाया वह गुना का रहने वाला रघुवीर है जिसे वह जंगली सुअर और नेवले के बाल बेंचता था तथा यह भी बताया कि उससे पूछताछ सोहाद्रतापूर्वक जांच टीम ने की और उसने स्वयं की मर्जी से बिना किसी डर दबाव के कथन दिया था। अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त कथन उसके समक्ष लेख किया जाना और ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त कथनों के आधार पर मलावर में आरोपी प्रहलाद को ले जाकर तैयार किया दस्तावेज प्र.पी. 27 का पंचनामा तैयार किया गया है। उक्त पंचनामे से अनुसंधान अधिकारी की उक्त आरोपी प्रहलाद के कथनों की और प्र.पी. 27 के पंचनामे की कार्यवाही की पुष्टि होती है।

41/ साक्षी प्रतिभा अहिरवार ए.सी.एफ.(परि.सा.10)— द्वारा अपने कथनों

में बताया कि आरोपी रघुवीर द्वारा उसे होश हवाश में कथन देते समय यह बताया कि दिनांक 30.01.17 को गुना रेल्वे स्टेशन के बाहर वन विभाग के अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा उसे रोककर पूछताछ किया व उनके साथ अन्य व्यक्ति प्रहलाद ग्राम चांदबड़ जिला सीहोर का जिसे उसने पहचान लिया था, जिससे वह वन्य प्राणी के बाल खरीदता था तथा विभिन्न स्थाना जैसे बीनागंज, आरोन, गुना, बदरवास, चांदबड़, ओमरी म.प्र. के अलावा सालपुरा, बारां, छबड़ा, छीपाबरोड (राजस्थान) में घूम कर देशी सुअर, महिलाओं के बाल, जंगली सुअर, नेवले के बाल खरीदता था और जंगली सुअर के बाल 900 / –रूपये, नेवले के बाल 2500 / –रूपये किलो के भाव से खरीदता था और जब स्टाक ज्यादा होने पर 25–25 किलो के कट्टे बनाकर कानपुर के शमीम पिता मोहम्मद शरीफ मूलगंज चौराहा, कूली बाजार, अलवरगंज थाना, कानपुर के मोबाइल नं. 8303429462 पर उसके मोबाइल नं. 9713867135 से बात करके बाल बेंचने के लिये ले जाता था और शमीम उसे नेवले के बाल के 3000 / –रूपये प्रतिकिलो के भाव से पैसे देता था, उसने दो–तीन बाद चांदबड़ के प्रहलाद से 900 / –रूपये किलो जंगली सुअर के बाल एवं 2500 / –रूपये किलो नेवले के बाल खरीद कर देड़ किलो जंगली सुअर के और आधा किलो नेवले के बाल खरीद कर ले गया जिसकी नगद कीमती दी तथा उसके द्वारा शमीम के अलावा फतेहपुर के मोहम्मद एहमद को मोबाइल नं. 9935983258 पर बात करके वन्य प्राणी पैंगोलिन स्केल्स (छिपटा) का भी दो से पच्चीस सो रूपये किलो भाव से उसके घर गुना आकर ले गया, वह 10 से 15 बार उसके घर आकर लगभग 90 किलो ग्राम छिपटा ले गया, वह कभी नगद और कभी उसके खाते में बैंक आफ इंडिया में पैसे डालता था, कानपुर के शमीम ने भी उसी रेट पर उसके घर आकर 3–4 बार में 6 किलो ग्राम पैंगोलिनस्केल्स (छिपटा) नगद पैसे देकर ले गया, आगे यह कहा कि उसने उक्त बयान बिना किसी डर दबाव के पूरे होश हवाश में देकर अपना गुनाह कबूल करना बताया है। अनुसंधान अधिकारी की उक्त कथन लेने की पुष्टि साक्षी अवधेशसिंह परमार द्वारा अपनी साक्ष्य में की है तथा आरोपी के कथन पर उसके डी से डी भाग पर हस्ताक्षर हैं तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त बयान उसके समक्ष उसे निर्देश पर दर्ज करना तथा ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। आरोपी रघुवीर की उक्त संस्वीकृति की पुष्टि उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन प्र.पीत्र 43 से भी होती है।

42 / साक्षी प्रतिभा अहिरवार ए.सी.एफ.(परि.सा.10)– द्वारा अपने कथनों में बताया कि आरोपी मोहम्मद शमीम द्वारा उसे होश हवाश में कथन देते समय यह बताया कि उसे वन अधिकारियों द्वारा बता दिया गया है कि उसका बयान उसके खिलाफ न्यायालय में उपयोग किया जा सकता है, आगे आरोपी ने कथनों में बताया कि उसके दादाजी वन्य प्राणी बाघ, तेंदुआ और अन्य जंगली जानरवरों के अवयवों की खरीद फरोख्त का गैर कानूनी काम करते थे तथा

उसके पिता का उस जमाने में वन्य प्राणियों के व्यापार में नाम चलता था, वह तकरीबन 20–22 वर्ष से उसके पिता के व्यवसाय में सहयोग करता आ रहा है, जिस कारण उसकी मुलाकात इस व्यापार व्यवसाय से संबंधित व्यापारियों और शिकारियों से हाती रहती है, उसमें से कुछ व्यक्तियों के नाम मोहम्मद युनूस वल्द शेख युसुफ निवासी इटारसी, रघुवीर पिता मछलाराम निवासी गुना, मोहरसिंह व उसका बेटा पप्पू निवासी शिवपुरी इसके अतिरिक्त और भी कई सारे लोग आते थे, जिनमें अटूप निवासी नेपाल, पसांग निवासी दिल्ली से उसका व्यापार होता था जो उसके पुराने मोबाइल नं. 8303429462 से बात करते थे, उक्त नंबर उसने व्यापार को सुरक्षित रखने के लिये फर्जी आई.डी. लगाकर खरीदा था जिससे वह पकड़ा ना जा सके, इसके अलावा हाजी असफाक निवासी ब्रहमपुरा उड़ीसा, जमाल इकबाल उर्फ चुन्नीभाई निवासी कोलकत्ता, नईमउद्दीन कोलकत्ता जो मूलतः प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, उनके साथ वन्य प्राणियों के अवयवों का व्यापार करता था।

43/ आरोपी शमीम का आगे कहना यह भी है कि उसने लगभग 1250 दाने (तेंदुआ–कोर्डवर्ड) एवं 125 पट्टा (टाइगर का कोर्डवर्ड) की खाले आज तक खरीद बिक्री की है, शिकारी लोग मुख्यतः म.प्र., राजस्थान, महाराष्ट्र में शिकार कर खाले एवं नाखून, हडिड आदि बेंचने आते हैं और पहाड़ी और अन्य बड़े व्यापारियों को दस हजार से बीस हजार रूपये प्रति खाल के मुनाफे पर बेंच देता था, सन् 2001 में वह बाघ, तेंदुआ की डिलेवरी लेने आया था, परन्तु यू. पी.एस.सी.एफ. ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उस केस में उसके पिता और उसका नाम आया था इस कारण व्यापार कमजोर होने लगा था, एक बार वह पिता के साथ कलकत्ता गया वहां के व्यापारी जमाल इकबला उर्फ चुन्नी भाई ने एक खपटा पैंगालिन शल्क दिखाकर बताया कि बहुत मुनाफे वाला धंधा है अपने लोगों से सम्पर्क करो और उसे लाकर दो, फिर उसने खपटे का व्यापार शुरू किया और लालच में आकर कई लोगों से सम्पर्क किया, इसके अतिरिक्त वह नवले और जंगली सुअर के बाल भी बेंचता था और उन्हें मुनाफे पर नईमउद्दीन कलकत्ता को बेंचता था, उसका व्यापार मोबाइल फोन पर चलता था, एक बार उसने इटारसी आकर शेख युनूस से अपने मोबइल नंबर 8303429462 से युनुस के मोबाइल नंबर पर बात करता था और इटारसी आकर बाघ की हडडी और खाल खरीद कर पसांगलिमि उर्फ जयतमाम को दिल्ली जाकर बेंचा था और गुना निवासी रघुवीर से नवले और जंगली सुअर के बाल खरीदे थे जिसे दो हजार रूपये किलो मुनाफेपर कोलकत्ता निवासी नईम को बेंच दियाथा, जो एक ही बात खरीद बिक्री किये थे क्योंकि उसके मुनाफा कम मिलता था, उसे मालूम हुआ कि युनुस और पसांग पकड़े गये हैं, वह एक बार इटारसी यह पता करने आया था कि उसका नाम तो वहां नहीं आया है, उसने उक्त बयान होश हवाब और बिना किसी डर दबाव के दिये है, बयान पर उसने अपने हस्ताक्षर भी किये हैं

तथा अनुसंधान अधिकारी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार द्वारा उक्त कथन उसके निर्देश पर लेख करना तथा बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना भी बताया है।

44 / बचाव अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान मुख्य रूप से यह प्रतिरक्षा ली गयी है कि अभियुक्तगण के कथन साक्षी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार अनुसंधान अधिकारी द्वारा लेख नहीं किया गया है एवं कथनों के समय आरोपीगण अभिरक्षा में भी थे, इसलिये, भयमुक्त वातावरण नहीं था। आरोपीगण की ओर से रखा गया उक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रकरण के साक्षी प्रदीप यादव (परि.सा.7), अवधेश सिंह परमार (परि.सा.9) द्वारा अपने कथनों में अभियुक्तगण द्वारा कथनों की स्वीकृति के संबंध में बताया है एवं परिवादी साक्षी यादवेन्द्र यादव (परि.सा.3) द्वारा श्री अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि उसके समक्ष आरोपी बद्रीलाल ने आरोपी प्रहलाद को नेवलू व सुअर के बाल व अन्य जानवरों के अंग बेंचने के संबंध में जानकारी दी थी तथा आरोपी प्रहलाद द्वारा भी पूछताछ में उसके द्वारा उक्त जानवरों के अंगों को गुना निवासी रघुवीर को बेंचने के संबंध में बताया था एवं परिवादी साक्षी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार (परि.सा.10) द्वारा भी ऐसा कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण के संस्वीकृतजन्य कथन उसने अपनी हस्तलिपि में लेख किये थे, बल्कि उसके निर्देश पर लेख किया जाना, अभियुक्तगण के कथनों में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है तथा उक्त परिवादी साक्षी प्रदीप यादव (परि.सा.7), अवधेश सिंह परमार (परि.सा.9) द्वारा अपने कथनों में अभियुक्तगण द्वारा कथन उनकी टीम के सामने दिया जाना बताया है और टीम में उनकी अधिकारी श्रीमती प्रतिभा अहिवार को शामिल होना कहा है। इसलिये, बचाव अधिवक्ता की उक्त प्रतिरक्षा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और यह भी स्वीकार योग्य नहीं है कि अभियुक्तगणों द्वारा संस्वीकृतिजन्य कथन देते समय भयमुक्त वातावरण नहीं था, क्योंकि अभियुक्तगणों ने स्वयं ही अपने संस्वीकृतिजन्य कथनों में सोहाद्रपूर्ण वातावरण में स्वेच्छा से कथन करना और अपराध कबूल करना बताया है।

45 / बचाव अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क रखा गया कि अभियुक्त प्रहलाद, रघुवीर और मोहम्मद शमीम से वन्य प्राणियों के कोई भी अंग जप्त नहीं किये गये हैं और उनके कथनों के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

46 / इस संबंध में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 50 की उपधारा 8 एवं 9 अवलोकनीय है। धारा 50 की उपधारा 8 के अनुसार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी किसी ऐसे अधिकारी को, जो वन्य प्राणी परिरक्षण सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य सरकार द्वारा स निमित प्राधिकृत ऐसे अधिकारी का जो सहायक वनपाल की पंक्ति

से नीचे का न हो, इस अधिनियम के किसी उपबंध के विरूद्ध किसी अपराध का अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित शक्तियां होगी'

(क) तलाशी वारंट जारी करेगा,
(ख) साक्षियों को हाजिर कराना,
(ग) दस्तोवजों और तात्विक पदार्थो के प्रकटीकरण और उनके प्रस्तुतति किये जाने के लिये विवश करना और
(घ) साक्ष्य ग्रहण करना और अभिलिखित करना।

धारा 50 की उपधारा–9 के अनुसार उपधारा– (8) के खण्ड (घ) के अधीन अभिलिखित कोई साक्ष्य किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी पश्चात्वर्ती विचारण में ग्राह्य होगा,परन्तु यह जब जबकि उसे अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में लिया गया हो।

47/ इस प्रकार अधिनियम की धारा–50 की उपधारा–8 एवं 9 के अंतर्गत यह उपबंधित किया गया है कि यदि ए.सी.एफ. रेंक का वन अधिकारी कोई साक्ष्य ग्राह्य करता है अथवा अभिलिखित करता है तो उक्त साक्ष्य को धारा 9 के अंतर्गत न्यायालय के पश्चात्वर्ती विचारण में ग्राह्य कर सकता है। धारा–50 (8) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 में वर्ष 2003 में संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार सहायक संचालक वन्य प्राणी संरक्षण या कोई अन्य अधिकारी जो सहायक वन संरक्षक से अनिम्न पद का न हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया है, ही साक्ष्य ले सकता है और अभिलिखित कर सकता है। न्यायदृष्टांत STATE V/S FRANCIS MASRENHAS 2015 Law Suit (Bom) 1128 में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि अधिनियम की धारा 50 (8) में उपबंधित आज्ञापक प्रावधान के अनुसार साक्ष्य या संस्वीकृति ए.सी.एफ. या उसे वरिष्ठ अधिकारी ही ले सकते हैं और यदि उनके द्वारा ऐसी साक्ष्य या संस्वीकृति ली गयी है तो वह साक्ष्य में ग्राह्य की जा सकती है।

48/ वर्तमान प्रकरण में साक्षी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार (परि.सा.10) ए.सी.एफ. रेंक की अधिकारी है, उनके द्वारा अभियुक्त प्रहलाद, रघुवीर, मोहम्मद शमीम की संस्वीकृति प्र.पी. 31, 23 एवं 30 लेखबद्ध की गयी है। अभियुक्तगण के कथन उनके द्वारा बिना किसी डर दबाव के स्वेच्छापूर्वक लेख किये गये हैं तथा उनके कथनों के नीचे प्रहलाद की अंगूठा निशानी एवं आरोपी रघुवीर एवं मोहम्मद शमीम के हस्ताक्षर लिये गये हैं।

49/ किसी अभियुक्तगण द्वारा की गयी न्यायिकेत्तर स्वीकृति के सुसंगत

होने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसी संस्वीकृति किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कारित प्रभाव के पूर्णरूपेण समाप्त हो जाने के बाद की गयी हो और ऐसी संस्वीकृति पुलिस अधिकारी के समक्ष न की गयी हो अर्थात् संस्वीकृति स्वेच्छया की गयी हो और वह सत्य हो। वर्तमान मामले में अभियुक्तगण द्वारा की गयी संस्वीकृति लिखित में सक्षम वन अधिकारी द्वारा दर्ज की गयी है, उस पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर भी लिये गये है और उक्त संस्वीकृतिजन्य कथनों के बारे में सक्षम वन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार ए.सी.एफ. (परि.सा.10) द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों में विस्तार से बताया भी गया है।

50/ उपरोक्त के अलावा बचाव अधिवक्तागण द्वारा ऐसी कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी है कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त संस्वीकृतिजन्य कथन किसी धमकी, वचन या उत्प्रेरणा के अधीन किये गये हों। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के उक्त संस्वीकृतिजन्य कथन साक्ष्य में सुसंगत होकर ग्राह्य किये जाने योग्य हैं।

51/ इस संबंध में **<u>न्यायदृष्टांत शिवकुमार विरूद्ध स्टेट द्वारा पुलिस निरीक्षक (2006) 1 एस.सी.सी. 714 में माननीय उच्चतम न्यायालय</u>** द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति कमजोर प्रकृति की साक्ष्य नहीं है । इसी प्रकार **<u>माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत आर.कुप्पूस्वामी विरूद्ध पुलिस निरीक्षक अम्बेलीगयी (2013) 3 ए.सी.सी. 322</u>** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर दंडित किया जा सकता है, यदि ऐसी संस्वीकृति उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के प्रलोभन के अंतर्गत नहीं की गयी हो। इस प्रकार उपरोक्त न्यायदृष्टान्तों के आलोक में यदि अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति सुसंगत हो तो वह साक्ष्य में ग्राह्य की जा सकती है।

52/ उपरोक्त के अलावा आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क रखा गया कि अभियोजन के साक्षीगणों की न्यायालयीन साक्ष्य में काफी विरोधाभास है, इसलिये, साक्षियों की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिये। आरोपीगण का उक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि, उक्त परिवादी साक्षियों की साक्ष्य का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि उक्त परिवादी साक्षियों की साक्ष्य में मामूली विरोधाभास अवश्य है, लेकिन ऐसा कोई महत्वपूर्ण तात्विक विरोधाभास नहीं है, जो अभियोजन की घटना को विनिष्ट करता हो।

53/ **<u>माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत राजस्थान राज्य विरूद्ध श्रीमती कालकी एवं अन्य 1981 (2) एस.सी.सी. 752</u>** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को यह देखना होता है कि साक्ष्य में जो

विरोधाभास आये हैं, वे सामान्य प्रकृति के है अथवा तात्विक प्रकृति के हैं। अतः इसके आधार पर न्यायालय को साक्षियों की विश्वसनीयता निर्धारित करना चाहिये। सामान्य विरोधाभास वे होते है। जो कि समय बीत जाने के कारण याददाश्त में त्रुटि के कारण होते हैं अथवा मानसिक मनःस्थिति के कारण होते हैं जैसे कि घटना कारित होने के समय शॉक एवं भय के कारण होते हैं। ऐसे विरोधाभाष किसी ईमानदार एवं सच्चे गवाह की साक्ष्य में भी हो सकती है। जबकि तात्विक विरोधाभाष ऐसे होते हैं, जिनकी अपेक्षा किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं की जा सकती। यदि सामान्य परिस्थिति में विरोधाभाष विद्यमान है, तो उससे किसी साक्षी की साक्ष्य की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है।

54/ आरोपीगण की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ने जो काल डिटेल प्रस्तुत की है, वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा आरोपी रघुवीर के बैंक खाते के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, उससे यह प्रकट नहीं हेाता है कि उसके खाते में राशि के संबंध में हुआ संव्यवहार किस बावत् हुआ है। आरोपीगण की ओर से रखा गया उक्त तर्क भी मान्य किये जाने योग्य प्रकट नहीं होता है, क्योंकि, प्रकरण की अनुसंधान अधिकारी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार द्वारा आरोपी रघुवीर द्वारा वन्य जीवों के अवयवों का विक्रय आरोपी शमीम को व अन्य व्यक्तियों को करना बताया है तथा आरोपी रघुवीर के कथनानुसार उसके खाते नंबर के संबंध में बैंक आफ इंडिया में पत्र लिखकर जो रघुवीर के बैंक खाते का विवरण प्राप्त किया गया है, उसमें आरोपी के खाते में राशियां जमा हुई है तथा अभिलेख पर अनुसंधान अधिकारी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार द्वारा आरोपी रघुवीर के बैंक खाते में आरोपी मोहम्मद शमीम द्वारा दिनांक 23.07.14 को जमा की गयी 25000/—रूपये की बैंक की जमा पर्ची एवं दिनांक 10.06.14 को जमा की गयी 30,000/—रूपये की जमा पर्ची अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी है, जो अनुसंधान अधिकारी को बैंक से मांगने पर बैंक आफ इंडिया द्वारा प्रदाय की गयी है। अनुसंधान अधिकारी की उक्त साक्ष्य की पुष्टि दस्तावेज प्र.पी. 36, 37 से होती है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान अधिकारी प्रतिभा अहिरवार द्वारा प्राप्त की गयी काल डिटेल मूलरूप से अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी है।

55/ प्रकरण के साक्षी रवि शर्मा (परि.सा.8) द्वारा अपनी साक्ष्य में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार की इस साक्ष्य की पुष्टि की है कि उक्त साक्षी अनुसंधान अधिकारी ने राज्य स्तरीय टाइगर फोर्स भोपाल में मोबाइल नंबर 97138667135 एवं दूसरा नं. 830342462 की सी.डी.आर. मांगने पर साक्षी रवि शर्मा द्वारा संबंधित कम्पनी को मेल भेज कर उक्त सी.डी.आर.उनके आफिस के शासकीय मेल आई.डी.पर प्राप्त कर के उसे प्रिन्टरसे प्रिन्ट कर जांच अधिकारी को सीलबंद अवस्था में दी है, जिसके संबंध में प्र.पी. 22 का प्रमाणपत्र जारी किया

गया है जिसमें मोबाइल नं. 830342462 आरोपी मोहम्मद शमीम का होना आरोपी रघुवीर द्वारा अपने कथनों में बताया गया है एवं अनुसंधान अधिकारी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार द्वारा मोबाइल द्वारा आरोपी का फोटो प्राप्त करने के संबंध में धारा 65 (बी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल एविडेन्स हेतु प्रमाणपत्रप्र.पी. 33 जारी किया है, जिस पर उनके हस्ताक्षर है।

56/ न्यायदृष्टांत **अनवर पी.वी. विरूद्ध पी.के.बशीर सिविल अपील 4226/2012 निर्णय निर्णय दिनांक 18.09.14 में माननीय तीन न्यायमूर्तिगण** की पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी इलिक्ट्रानिक एविडेन्स लेने के लिये धारा 65 (बी) (2) (4) में उल्लेखित प्रमाणपत्र होना आवश्यक है तभी उसे ग्राह्य कर सकते हैं। वर्तमान प्रकरण में भी इलेक्ट्रिानिक एविडेन्स के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 (बी) के अंतर्गत प्रमाणपत्र प्रस्तुत है। इसलिये, उक्त न्यायदृष्टान्त के आलोक में उक्त साक्ष्य ग्राह्य योग्य होने से आरोपीगण की ओर से इस संबंध में रखा गया तर्क मान्य करने योग्य नहीं रह जाता है।

57/ उपरोक्त के अलावा प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती प्रतिभा अहिरवार द्वारा (परि.सा.10) द्वारा आरोपी रघुवीर के न्यायालय के समक्ष धारा 164द.प्र.सं. के तहत कथन कराये हैं, जिसमें आरोपी रघुवीर ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उसने आरोपी प्रहलाद निवासी चांदबड़, सीहोर से नेवले एवं सुअर के बाल खरीदे थे और शमीम को 3–4 बार विक्रय किये है तथा रघुवीर द्वारा कथनों में यह भी बताया गया है कि वह पैंगोलिन जिसे वह अपनी भाषा में सालगोंडा बोलता है, वह उसे कैलारस के शिकारी, हरी, मुन्नी, घुरीलाल, माधेसिंह, बबलू आदि से लाता है और मोहम्मद एहमद निवासी फतेहपुर उ.प्र. को बेंचता है तथा सीताराम से भी वह उक्त पैंगोलिन का क्रय विक्रय करता है। आरोपी रघुवीर की उक्त स्वेच्छया स्वीकारोक्ति कथन से संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि आरोपी प्रहलाद, आरोपी रघुवीर, आरोपी मोहम्मद शमीम अवैध रूप से वन्य प्राणियों के अंगों व अवयवों का व्यापार राज्य स्तर पर नहीं करते हैं।

58/ इस तरह अभिलेख पर आरोपी प्रहलाद, रघुवीर एवं मानसिंह द्वारा की गयी संस्वीकृति एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से अभिलेख पर उक्त आरोपीगणों द्वारा एक संगठित गिरोह के रूप में वन्य प्राणियों के अंग एवं अवयवों का खरीद फरोख्त करते हुये अन्तर्राज्जीय स्तर पर व्यापार करना प्रमाणित हुआ है और यह भी प्रमाणित हुआ है कि उक्त आरोपीगण उक्त अवैध कृत्य काफी लंबे अर्से से कर रहे हैं तथा उक्त आरोपीगणों के संस्वीकृति कथनों में आरोपी मोहम्मद शमीम द्वारा प्रकरण के आरोपी रघुवीर से वन्य प्राणियों के अंगों को खरीद कर बेंचने और व्यापार करना स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ है तथा उक्त तथ्य की पुष्टि

अभिलेख पर आरोपी रघुवीर के न्यायालय के समक्ष किये गये धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत की गयी स्वेच्छया संस्वीकृति से होती है एवं अभिलेख पर उपरोक्त विश्लेषण से यह भी प्रमाणित हुआ है कि आरोपी बद्रीलाल और मानसिंह द्वारा अनुसूची ।। के भाग–दो के अंतर्गत इंडियन जैकाल (सियार) को अवैध रूप से मार कर शिकार किया और उक्त सूची के ही भारतीय कोबरा नागों को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा एवं आरोपी बद्रीलाल द्वारा वन्य प्राणियों के बालों एवं इंडियन पैंगोलिन के स्केल्स को अवैध रूप से अन्य आरोपी प्रहलाद एवं अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर व्यापार करना भी प्रमाणित हुआ है और यह भी प्रमाणित हुआ है कि उक्त आरोपीगणों का मुख्य पेशा उपरोक्त सूची के जंगली जानवरों को लोहे के फंदे में फसा कर अवैध रूप से शिकार करने का है।

59/ इसलिये, उपरोक्त अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के किये गये सूक्ष्म विश्लेषण उपरांत अभिलेख पर यह प्रमाणित हुआ है कि आरोपीगण द्वारा मिलकर व एक संगठित गिरोह के रूप में अनुसूची –।। भाग–दो के वन्य प्राणी इंडियन जैकाल (सियार) को मार कर अवैधरूप से शिकार करना एवं कोबरा भारतीय नाग तथा अनुसूची IV के क्रमांक 12 के अंतर्गत रेडसेन्डबोआ (दो मुंह का सांप) एवं अनुसूची ।।। क्रमांक 12 हायना (जरख) एवं अनुसूची । के भाग के अंतर्गत इंडियन पैंगोलिन (शल्क) के स्केल्स आदि को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखकर एवं उक्त वन्य जीवों के अंगों एवं अवयवों का मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में शिकार करना एवं अन्र्राज्जीय स्तर पर व्यापार किया जाता रहा है तथा उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से अभियुक्तगण द्वारा पिछले कई वर्षो से वन्य जीवों के अवयव एवं अंगों का व्यापार एक संगठित गिरोह के रूप में अंतर्राज्जीय स्तर पर किया जाता रहा है और किया गया है।

60/ उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य के किये गये विश्लेषण उपरांत अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 17.01.17 एवं उसके पूर्व से साथ मिलकर अनुसूची ।। भाग–2 के वन्य प्राणी इंडियन इंडियन जैकाल (सियार) को मार कर अवैधरूप से शिकार करना एवं कोबरा भारतीय नाग तथा अनुसूची IV के क्रमांक 12 के अंतर्गत रेडसेन्डबोआ (दो मुंह का सांप) एवं अनुसूची ।।। क्रमांक 12 हायना (जरख) एवं अनुसूची । के भाग –1 के अंतर्गत इंडियन पैंगोलिन (शल्क) के स्केल्स आदि को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखकर एवं उक्त वन्य जीवों के अंगों एवं अवयवों का मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में शिकार करना एवं अन्र्राज्जीय स्तर पर व्यापार किया जाता रहा है तथा उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से अभियुक्तगण द्वारा पिछले कई वर्षो से वन्य जीवों के अवयव एवं अंगों का व्यापार एक संगठित गिरोह के रूप में अंतर्राज्जीय स्तर पर किया जाता रहा है और किया गया है। अतः सभी

आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39(1)(ख)(घ), 44, 48(क), 49(ख), 50, 51, 52 तथा 57 के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुये दोषी ठहराया जाता है।

निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु कुछ समय पश्चात पेश हो।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।
हस्ता0/–10.10.17
(सुनील कुमार शौक)
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नरसिंहगढ, जिला–राजगढ म0प्र0

पुनश्चः–

61/ दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन को सुना गया। अभियुक्तगण का कहना है कि उनका यह प्रथम अपराध है। गरीब लोग हैं, न्यूनतम दंड से दंडित करते हुये सहानुभूति दिखायी जाये। चूंकि अभिलेख पर आरोपीगण की पूर्व कोई दोषसिद्धि नहीं है। परन्तु आरोपीगणों द्वारा मिलकर वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 51 की उपधारा 1 के परन्तुक में उपबंधित प्रावधान अनुसार जहां कोई अपराध अनुसूची 1 या अनसूची 2 के भाग–दो में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी के संबंधमें किया जाता है वहां ऐसे अपराध के लिये न्यूनतम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किये जाने का प्रावधान है। अभियुक्तगण द्वारा विधिनुसार प्रतिबंधित किया गया उक्त अपराध उक्त अधिनियम की अनुसूची–।। भाग–दो के वन्य प्राणी सियार एवं भारतीय कोबरा नाग एवं अनुसूची चार के क्रमांक 12 के अंतर्गत दो मुंह का सांप, अनुसूची–। के भाग–। के अंतर्गत इंडिया पैंगोलिन (शल्क) के स्केल्स का शिकार करना एवं अवैध रूप से कई वर्षो से उनके अंगों का अवैध व्यापार करने का गंभीर आरोप प्रमाणित हुआ है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण द्वारा किये गये कृत्य को दृष्टिगत रखते हुये उदारता बरते जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुये आरोपी प्रहलाद वल्द सोकू, बद्रीलाल वल्द मिश्रीलाल, मोहम्मद शमीम वल्द मोहम्मद शरीफ एवं रघुवीर वल्द मछलाराम गोड़, मानसिंह वल्द बंशीलाल को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2, 9, 39(1)(ख)(घ), 44, 48(क), 49(ख), 50, 52, 57 सहपठित धारा 51 के आरोप में चार–चार वर्ष के कठोर कारावास एवं दस–दस हजार रूपये के अर्थदंड सेदंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि की अदायगी के व्यतिक्रम होने पर अभियुक्तगण को 6–6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताया जावेगा। अभियुक्तगण द्वारा विचारण के दौरान बितायी गयी निरोध की अवधि को अभियुक्तगण को दी गयी मूल सजा में समायोजित किया जावेगा।

62/ आरोपी मोहम्मद शमीम गिरफ्तारी दिनांक से अभिरक्षा में है एवं अन्य आरोपीगण जमानत के पूर्व अभिरक्षा में रहे हैं। उनकी अभिरक्षा अवधि के संबंध में प्रकरण में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाणपत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

63/ अभियुक्तगण के प्रस्तुत जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं तथा प्रकरण में जप्तशुदा वस्तु न्यायालय के आदेश से नष्ट की जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट अभिलेख पर संलग्न है।

नोट– प्रकरण में अन्य अभियुक्त मोहम्मद एहमद वल्द अब्दुल रउफ एवं नईमउद्दीन सैययद उर्फ नईम चाचा को फरार होना बताया गया है, इसलिये प्रकरण सुरक्षित रखा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।
हस्ता0/–10.10.17
(सुनील कुमार शौक)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नरसिंहगढ, जिला राजगढ (ब्यावरा)
म.प्र.

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ता0/–10.10.17
(सुनील कुमार शौक)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नरसिंहगढ जिला राजगढ (ब्यावरा)
म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (अव्यवसायिक/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)